संख्या-70/2019/3489जेएल/22-3-19-800(28)/2015

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
मुरादाबाद।

कारागार प्रशासन एवं सुधार** अनुभाग-3* ***लखनऊ: दिनांक: 02 अगस्त, 2019

विषय- केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ के बंदी उस्मान उल हक पुत्र स्व0 रिजवान उल हक, निवासी-ग्राम व पोस्ट-पीपलसाना, थाना-भोजपुर, जनपद-मुरादाबाद को माता के उपचार हेतु पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-966/म0क0/प्रो0/बंदी 2019-20, दिनांक 30-07-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ के बंदी उस्मान उल हक पुत्र स्व0 रिजवान उल हक, निवासी-ग्राम व पोस्ट-पीपलसाना, थाना-भोजपुर, जनपद-मुरादाबाद को शासनादेश संख्या-52/2019/117जेएल/22-3-19-800(28)/2015, दिनांक 27-06-2019 के क्रम में **एक माह की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-70/2019/3489जेएल(1)/22-3-19-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2- महानिदेशक पुलिस/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in